

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2017

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

रमेशसिंह पुत्र दातारसिंह जाति राजपूत.
निवासी कवराड़ा तहसी आहोर

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालोर
2. तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री दौलतसिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोंडेन्ट की ओर से

--: निर्णय :-

दिनांक:- 29-6-18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 54/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कवराड़ा तहसील आहोर के हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 17 बीघा किस्म गै०मु० स्कूल वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इस भूमि के गूत खसरा नम्बर 419 थे। पूर्व में इसी भूमि पर अपीलाण्ट के पूर्वजों का अतिक्रमण मानते हुए तहसीलदार द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही आरम्भ की थी। जिसमें यह जवाब प्रस्तुत किया कि इस भूमि बाबत भूतपूर्व जागीरदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व दिनांक 26.12.1950 को पट्टा जारी किया है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही को झोप किया गया। अब तहसीलदार द्वारा गै०मु० स्कूल की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए पुनः धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किए हैं, जिसका तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इसी बिन्दु पर पूर्व में तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट के पिता के विरुद्ध प्रकरण झोप किया था। वर्तमान में तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया कि प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी पट्टे की दिशाओं एवं जैर अपील वादस्थ भूमि की दिशाओं में भिन्नता है, वास्तविकता यह है कि जैर अपील वादस्थ भूमि के राजस्व रेकॉर्ड अथवा अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किए गए, उनमें कहीं भी दिशाओं का इन्द्राज नहीं है, मात्र रकबा अंकित किया है, इस कारण दिशाओं को आधार बनाते हुए जैर अपील आदेश जारी किया जाना तर्कसंगत नहीं है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में भूमि गै०मु० स्कूल के नाम दर्ज है। स्कूल द्वारा न तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही अतिक्रमण की शिकायत की, तहसीलदार द्वारा विधि विरुद्ध रूप से धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिकता नहीं है। जैर अपील वादस्थ भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 547 थे, जिससे खसरा नम्बर 419 व 420 बने। जिसमें से 419 गै०मु० स्कूल दर्ज की तथा खसरा नम्बर 419 गै०मु० लाटा दर्ज की। उक्त कार्यवाही



स्कूल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिना कोई आदेश के भूमि दर्ज की गई है। जिसका भू-प्रबन्ध अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। जब भूमि स्कूल को आवंटन ही नहीं हुई, तो स्कूल उक्त भूमि पर मात्र अतिक्रमी ही माना जाएगा, जबकि अपीलाण्ट के पास तो उक्त भूमि का पट्टा है, जिस पर उनके मकानात स्थित है। तहसीलदार आहोर जैर अपील आदेश की आड में अपीलाण्ट को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। पूर्व खसरा नम्बर 574 की शेष भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों के कब्जे हैं, किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, मात्र अपीलाण्ट के विरुद्ध दुर्भावनावश कार्यवाही की गई है। उपर्युक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अपीलाण्ट अपनी पट्टासुदा भूमि पर काबिज है, जिसके विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही पोषणीय नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1981 पेज 673, डी0एन0जे0 2011(3) पेज 1495, आर0आर0डी0 1977 पेज 546, डी0एन0जे0 2017 पेज 4 तथा आर0आर0डी0 1972 पेज 133 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कवराड़ा तहसील आहोर के खसरा नम्बर 444 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 स्कूल की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम कवराड़ा तहसील आहोर के खसरा नम्बर 444 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 स्कूल में दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार आहोर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर वाडा बनाया है, इस पर तहसीलदार आहोर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 21.03.2016 की तारीख पेशी नियत की। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें तहसीलदार आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 84/83 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.1984 की फोटो प्रति प्रस्तुत की, जिसमें खसरा नम्बर 419 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को ड्रॉप किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि अपनी पट्टासुदा होना बताया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु वाद भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन होना जाहिर किया है। प्रकरण के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट जिस भूमि पर काबिज है, वह राजस्व रिकॉर्ड में स्कूल के नाम से दर्ज है। चूंकि स्कूल राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग की सम्पत्ति होने से अप्रत्यक्ष रूप से राजकीय सम्पत्ति है, जिस पर अतिक्रमण किया जाना न्यायोचित नहीं है। हालांकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का हक अधिकार है अथवा नहीं? यह सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही निर्धारित होगा, किन्तु इस दौरान यदि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है, तो निश्चय ही स्थिति बिगड़ती होगी, जिसे रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसे दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय




राजस्थान अपील प्राधिकरण
पाली

तहसीलदर आहोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.07.2016 के जरिये अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया तथा आदेश बेदखली पारित किए, जिसे विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये यथावत रखा है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 54/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर करके न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर